भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +733

सोमवार, 7 फरवरी, 2022/18 माघ, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

आईएटीए एजेंटों को रियायत

+733. श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः

श्री रविन्दर कुशवाहाः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री रवि किशनः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री राहुल रमेश शेवालेः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः

श्री चंद्र शेखर साहूः

श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री प्रतापराव जाधवः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है और क्या यात्रा व्यापार इन सबमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो क्या ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएएआई) ने सरकार से अपने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) के प्रत्यायित ऐजेंटों के प्रतिमानों में रियायत देने तथा पंजीकरण प्रक्रिया को स्वचालित बनाने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या टीएएआई ने सरकार से प्रत्यायन हेतु व्यापार सदस्यों तथा ट्रैवल ऐजेंट निकाय का राज्य-वार पंजीकरण करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने पर्यटन उद्योग की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या कोविड-19 के वर्तमान ओमिक्रोन वैरियंट ने देश में तेजी से सुधर रहे पर्यटन उद्योग को बाधित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने ओमिक्रोन वैरियंट के मद्देनजर देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वीज़ा मानदंडों में कोई रियायत दी है/देने पर विचार कर रही है; और

(च) क्या सरकार का विचार संपूर्ण देश में नए पर्यटक संकुल विकसित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी गंतव्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : जी, हां महोदय ।

(ख) से (ग) : पर्यटकों के लिए मानकीकृत सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार टूर ऑपरेटरों/यात्रा एजेंटों/पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों आदि सहित यात्रा एवं आतिथ्य उद्योग में सेवा प्रदाताओं की विभिन्न श्रेणियों को प्रत्येक श्रेणी में मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अुनरूप अनुमोदन प्रदान करता है । यह पूरी तरह से एक स्वैच्छिक योजना है और सेवा प्रदाताओं के लिए अपने व्यवसाय के प्रचालन हेतु मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है । ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएएआई) ने मंत्रालय द्वारा यात्रा एजेंटों को मान्यता दिए जाने के लिए दिशानिर्देशों में ढ़ील दिए जाने का अनुरोध किया है । अन्य के साथ-साथ एसोसिएशन ने उसके सदस्यों को ऑटोमेटिक मान्यता दिए जाने का अनुरोध किया है क्योंकि उनमें से अधिकांश इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्य हैं ।

इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि पर्यटन मंत्रालय ने दिसंबर 2020 में ही टूर ऑपरेटरों, यात्रा एजेंटों और पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों को मान्यता दिए जाने संबंधी अपने दिशानिर्देशों में संशोधन किया था । विशेष रूप से कोविड – 19 के कारण उत्पन्न महामारी की स्थिति के मद्देनजर इसमें उल्लेखनीय परिवर्तन किए गए हैं । इनमें निम्नलिखित शामिल है :

1. ग्रीन-शूट नामक एक नई श्रेणी की शुरूआत की गई है । इस श्रेणी में एक वर्ष के अनुभव की शर्त को समाप्त कर दिया गया है ।

2. अनुभव प्राप्त श्रेणी के लिए कारोबार की अपेक्षा में कमी की गई है ।

3. 10 करोड़ रु. से कम के वार्षिक कारोबार वाले टूर ऑपरेटरों/यात्रा एजेंटों के लिए निम्नलिखित रियायतें दी गई हैं :

    क. कार्यालय स्थान होने की शर्त को समाप्त कर दिया गया है ।
    ख. योग्यता प्राप्त स्टाफ की अपेक्षा में कटौती करके उसे 2 तक सीमित कर दिया गया है जिसमें एजेंसी के निदेशक/मालिक को योग्यता प्राप्त स्टाफ माना जाता है ।

अतः और अधिक रियायत देना व्यवहार्य नहीं समझा गया क्योंकि इससे मान्यता प्राप्त यात्रा एजेंटों की सुनिश्चित सेवा गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है ।

(घ) : जी, हां । दिनांक 15.12.2021 से अधिसूचित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बहाल किए जाने संबंधी सरकार का निर्णय कोविड-19 के ओमीक्रोन वेरिएंट के कारण दिनांक 28.02.2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है । इससे इनबाउंड पर्यटन उद्योग की बहाली को बड़ा झटका लगा है ।

(ड.) गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कोविड संबंधी – दिशानिर्देशों के अध्यधीन पर्यटन के उद्देश्य से भारत की यात्रा करने के इच्छुक सभी विदेशी नागरिकों के लिए प्रतिबंधों में ढ़ील दी है । दिनांक 15 नवम्बर, 2021 से पर्यटन के उद्देश्य से व्यक्तिगत आधार पर भारत आने के इच्छक सभी विदेशी नागरिकों ई-पर्यटक वीजा/पर्यटक वीजा को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है । प्रारंभिक रूप से ई-पर्यटक/ पर्यटक वीजा 30 दिन की वैधता के साथ जारी किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों हेतु पहले 500,000 वीजा निःशुल्क जारी करने की घोषण की है ।

(च) : पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में अपनी स्वदेश दर्शन योजना शुरू की थी जिसके तहत पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । यह वित्तीय सहायता राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से प्रदान की जाती है । वर्ष 2014-15 में इसकी शुरूआत से वर्ष 2018-19 तक 5503.84 करोड़ रु. की संशोधित स्वीकृत राशि से देश में 13 थीमेटिक परिपथों के अंतर्गत कुल 76 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है और 4442.18 करोड़ रु. जारी किए गए हैं । इस योजना के तहत परियोजनाओं को स्वीकृति निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन और पहले जारी की गई निधियों की उपयोगिता आदि की शर्त पर प्रदान की जाती है ।

पर्यटन मंत्रालय ने ''प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों का विकास योजना'' तैयार की है । यह योजना अनुमोदित नहीं है और इसलिए आगे के विवरण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

*****